समाहरणालय, गोपालगंज
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

फोन नं0– 06156–226001 (का0),
फैक्स नं0–06156–226003 (का0),226004 (आ0)
Email-ID:-dm-gopalganj.bih@nic.in

आदेश

सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–2944 दिनांक 31.05.2021 द्वारा संसूचित है कि कोराना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्वि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्व तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05.05.2021 से दिनांक 01.06.2021 तक तीन चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एंव व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों एवं समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये ।इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। परिणामतः वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20,000 के नीचे आ गई है।

गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं0–40–3/2020 DM-I(A), दिनांक 27.05.2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत **Implementation Framework for Community containment/large containment Areas** के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। पत्र में यह निदेश है कि राज्य सरकार स्थिति का आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है।

वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्व यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों को लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है। इसलिए उन्हें भी राहत पहुँचाना उचित होगा।

राज्य सरकार द्वारा विगत चार सप्ताह के दौरान लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपिइ न प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव, व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने तथा समाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्व रूप से ही शिथिल किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को दिनांक 02.06.2021 से 08.06.2021 तक निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में निम्न निदेश दिये जाते है :–

1. सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04 बजे अपराह्न तक खुलेंगें। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगें।

   अपवाद:– आवश्यक सेवाओं यथा– जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत, आपूत्ति, जलापूर्त्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्य गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत् कार्य करेगें।

   न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभांवी होगा।

2. आवश्यक सेवाओं (अपवाद में वर्णित दुकानों/प्रतिष्ठानों) को छोड़कर सभी दूकाने एक दिन बीच कर यथा :– प्रातः 06 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक खुल सकेगें।

3. कोरोना संक्रमण में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों/प्रतिष्ठानों पर भीड़ को कम करने के दृष्टिगत दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिन का निर्धारण किया जाता है:–

श्रेणी–I :– प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची	
(i) किराना दुकान	(ii) डेयरी/मिल्क बूथ
(iii) मेडिकल/दवा की दुकान	(iv) सभी अस्पताल
(v) निजी क्लीनिक	(vi) होम डिलिवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि से)

(vii) ई–कॉमर्स सेवा	(viii) अनाज मंडी
(ix) फल/सब्जी मंडी	(x) मीट एवं मछली की दुकानें
(xi) पशु चारा की दुकान	(xii) High Security/registration Plateकी दुकान
(xiii) ऑटोमोबाईल वर्क्सपाप/गैरेज/सर्विसिंग सेन्टर	(xiv) पेट्रोल पंप/गैस एजेंन्सी/अन्य आवश्यक सेवाएं
(xv) ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, Lubricant/स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मती सहित)	(xvi) निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, इंट प्लास्टिक पाईप, hardware सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री।
(xvii) साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान/मोची	

श्रेणी–II :– सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची
(i) इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर–कन्डीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत)
(ii) इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत)
(iii) सैलून, पार्लर
(iv) फर्निचर की दुकान
(v) सोना–चांदी की दुकान

श्रेणी–III :– मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची	
(i) कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित)	(ii) बर्तन की दुकान
(iii) जूता–चप्पल की दुकान	(iv) स्पोटर्स/खेलकूद सामग्री की दुकान
(v) ड्राई क्लीनर्स की दुकान	(vi) कृषि कार्य/यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान
(vii) अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नही हो।	

उपरोक्त सभी दुकान/प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों को अपराह्न 02:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया जाता है:–

- सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीददारी करेंगे।
- दुकानों/कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/कार्यालय के काउन्टर पर दुकानदान साबुन/सेनेटाईजर वहां के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
- दुकान/कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किये जायेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्च्ति नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।

अपवाद :–

(क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ।
(ख) औद्योगिक एंव विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
(घ) E-commerce एवं Courier Services से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
(ड0) कृषि एवं इससे जुडे कार्य।
(च) प्रिन्ट एंव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया।
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भण्ड़ारण प्रतिष्ठान।
(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
(ञ) निम्नलिखित दुकानें प्रातः 06:00 बजे से लेकर 02:00 बजे पूर्वाह्न तक खोली जायेगी :–

- ➢ उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें।
- ➢ आवश्यक खाद्य सामाग्री
- ➢ फल एवं सब्जी
- ➢ मांस–मछली
- ➢ दूध
- ➢ पी.डी.एस. की दुकानें

(ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।

(ठ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम–घूम कर बिक्री ।

अन्य सभी प्रतिष्ठान work from Home के आधार पर कार्य कर सकते है।

दुकानों /प्रतिष्ठानों के संचालन निम्नलिखित शर्त्त के साथ किया जाएगा :–

- ➢ दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- ➢ दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एंव आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- ➢ दुकान एंव प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किय जाएगें।

4. अस्पतालों एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां– सरकारी एवं निजी, दवा दुकानों, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत् कार्य करेगें।
5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

अपवाद :–

(क) पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

(ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।

(ग) अनुमान्य कार्यो से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।

(घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।

(ड0) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

(च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

(छ) कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

(ज) अंतर्राज्यीय मार्गो पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।

(झ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक आने–जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को अपना शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लघंन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जाएगें।

6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जायेगी।
7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें का संचालन केवल होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटल में अतिथि के लिए In-room Dining अनुमान्य होगा।
8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगें।
9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।
10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन– सरकारी एवं निजी– पर रोक रहेगी।

12. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्व कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

13. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जिला– गोपालगंज को निदेश है कि चिन्हित स्थानों पर संचालित सामुदायिक किचेन के माध्यम से निराश्रित एंव बेसहारा व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

14. सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों तथा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देख–रेख में लगे **attendant** के खाने के लिए सामुदायिक किचेन के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहें तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति /संस्था के माध्यम से अपने अस्पताल के मरीजों के **attendant** के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इस में सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड की तरह साफ–सफाई, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा।

15. रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होगें।

16. सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नही करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एंव हथुआ इसे लागू कराना सुनिश्चित करेगें एंव सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगें।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरौली/मीरगंज/कटेया/ थानाध्यक्ष/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, जिला– गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अधारा 51–60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड़ात्मक कार्रवाई की जाय।

नोट :– **कोरोना वायरस संक्रमण के वर्त्तमान परिदृश्य में physical distancing , मास्क एवं अन्य स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागेां के द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए उपर्युक्त सभी कार्य सम्पादित किए जाएँ।**

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक–2336/सी0, गोपालगंज, दिनांक–31/05/2021

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप विकास आयुक्त, गोपालगंज/अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ/सिविल सर्जन, गोपालगंज / प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज/ सभी कार्यालय प्रधान, जिला– गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष,, जिला–गोपालगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मीरगंज/कटेया/बरौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।